| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>मुकदमा संख्या :- 195 / 2022<br>[illegible] बनाम राजस्थान सरकार<br>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21/11/22 | तहसीलदार झुंझुनूं से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम तोगड़ा खुर्द पटवार मंडल बास नानग में हाल खाता संख्या 50 में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी की जाति चमार दर्ज है, जो कि सम्मान सूचक नहीं है। अतः चमार की जगह मेघवाल दर्ज होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह त्रुटि भूलवश हुई है, जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः संलग्न रिकार्ड एवं तहसीलदार झुन्झुनू की अभिशंषा के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खाता शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 21/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>उप खण्ड अधिकारी<br>झुन्झुनूं (राज.) | |